डीजी परिपत्र संख्या-32/2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः अक्टूबर 08, 2020

विषयः- सर्राफा दुकानों एवं कार्यरत कर्मचारियों तथा रास्तो पर सर्राफा कर्मचारियों के साथ घटित घटनाओं पर योजनाबद्ध रूप से कार्यवाही के संबंध में ।

प्रिय महोदय,

सर्राफा दुकानों एवं कार्यरत कर्मचारियो के साथ दिन दहाड़े या असमय होने वाली लूट व लूट सहित हत्या एवं छिनैती आदि की घटनाओं के घटित होने से एक ओर व्यापारियों के साथ-साथ आम जनमानस में भी असुरक्षा एवं भय की भावना व्याप्त होती है वहीं दूसरी ओर पुलिस की छवि एवं कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह् लगता है। इन घटनाओ की रोकथाम हेतु पूर्व में मुख्यालय स्तर से निर्देश निर्गत किये गये है जो पार्श्वांकित है।

डीजी परिपत्र 60/13 दिनांक 9.11.2013
डीजी परिपत्र 43/18 दिनांक 01.8.2018
डीजी परिपत्र 8/20 दिनांक 12.2.2020

2- ऐसा विदित हो रहा है कि समय-समय पर मुख्यालय स्तर से निर्गत परिपत्र एवं निर्देशों का न तो आप सभी द्वारा स्वयं संज्ञान लिया जा रहा है और न ही अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को अक्षरशः अनुपालन कराने के लिये निर्देशित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की घटनाऐं प्रकाश में आ रही है।

3- प्रदेश में उक्त घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्वेश्य से आपके अनुपालनार्थ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव/निर्देश निगर्त किये जा रहे हैं जो निम्नवत है:-

(I)सर्राफा बाजारों में पुलिस की चौकसी और पेट्रोलिंग/पिकेट व्यवस्था बढ़ाई जाय। सर्राफा बजारों के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे अधिष्ठापित कराये जायें ।

(II)ऐसी बाजारों के आस-पास आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों तथा संदिग्ध वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जाय एवं सघन चेकिंग की जाए।

(III)समय-समय पर ऐसे स्थानों की संबंधित राजपत्रित अधिकारियों द्वारा भी एक टीम बनाकर आकस्मिक चेकिंग की जाए।

(IV)घटित घटनाओं के त्वरित एवं सफल अनावरण किये जाने हेतु विवेचक को एक कार्ययोजना तैयार कराकर गम्भीर पर्यवेक्षण प्रदान किया जाए तथा घटित घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही अमल में लाते हुये सफल अनावरण के साथ बरामदगी सुनिश्चित किया जाए।

(V)प्रत्येक माह नोडल अधिकारी (अपर पुलिस अधीक्षक स्तर)द्वारा घटनाओं की समीक्षा अवश्य की जाय तथा घटनाओं की रोकथाम हेतु सर्राफा व्यापारियों से नोडल अधिकारी प्रतिमाह गोष्ठी करके उनकी समस्याएं सुनें एवं सुझाव प्राप्त करें तथा उनका परीक्षण करायें। महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझावों को अमल में लाया जाए।

(VI)पूर्व में सर्राफा व्यापारियों के साथ जो घटनाएं घटित हुई है उनमें यदि मा0 न्यायालय में सुनवाई के दौरान साक्षियों को सुरक्षा की आवश्यकता हो तो सुरक्षा प्रदान की जाय, ताकि अपराधियों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में साक्ष्य अंकित कराकर उन्हे दण्डित कराया जा सके।

Scanned by CamScanner

(VII)पूर्व में सर्राफा व्यापारी के साथ किस-किस स्थान एवं किस-किस समय पर घटनाएं घटित हुई है, इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस अधिकारी/निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं बीट आरक्षी को प्रदान की जाए, ताकि वे ऐसे मार्गों, स्थानों पर सर्राफा व्यापारियों की सुरक्षा के प्रति सजग एवं सर्तक रहें।

4- मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी अपने-अपने जनपदों में सर्राफा बाजारों में लूट एवं लूट सहित हत्या की घटनाओं में त्वरित कार्यवाही एवं प्रभावी रोकथाम हेतु एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर स्थानीय स्तर पर अनुश्रवण सुनिश्चित करायेंगे । जनपद स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह इसकी एक समीक्षा कर समीक्षा रिपोर्ट अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध को प्रेषित करेंगे।

5- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त
**लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।**

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी
**उत्तर प्रदेश।**

**प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner